

उगन्ता देवी



बनाम

गोपाल वर्गो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या19...../2022 दावा बाबत घोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत


धारा 53, 188 आरटीएक्ट


क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.02.22	<p>वादीया की ओर से वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री अशोक कुमार सैनी द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16/2/22 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p> <p> उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित/पत्र/पत्र साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <i>h.c.w.s.t.</i> पत्रावली यत आदेशानुसार दि. 27/4/22 को (रीडर) </p>	
	20/4/22	<p>पत्रावली आज वादिका उगन्ता देवी ने मजिस्ट्रेट की दिये शाही के साथ पेशना पर पेशा किने जाने से आज पेशा डर। वादिका ने अपने मजिस्ट्रेट के साथ उपस्थित होकर जाहिर किया कि उपस्थित गोपाल जिसकी मुलाक़ात हुई है के वारिष्ठ के बाकीनाम होने तथा उपस्थित गोपाल के विवाह का नामानुस्मरण हेतु दावा को नया वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ बिना किने जाने का विवेक किया।</p> <p>उभय वादिका द्वारा उभय पक्षों का मजिस्ट्रेट किया गया। अहम पेशना। वादिका का पेशना पर दावा बिना किने जाने का नया वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ (बीका) किना जाया वाद पर जाहिर किया जाता है। चरवाही के लिये उभय पक्षों के लिये सिद्धांत हेतु दिनांक 14/5/22 को मेरा ही कोस मजिस्ट्रेट में अनिश्चित सिद्धांत हेतु पेशा दी।</p> <p style="text-align: center;">  उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान </p>	<p><i>20/4/22</i></p> <p><i>20/4/22</i></p>

उमानोदेवी कामाज जीपाल कोरट
प्र. सं. 19/2022 राज्य देवारा, शोलेदारी कोरज खाकी
विषयवारी

15/5/22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लेन अदालत में पेश
हुई प्रकाश में कोई कार्यवाही शेष नहीं
है। अतः पत्रावली केवल उमा देवी
नम्बर से कम हो रहा दायित्व दफ्तर हो


उप
उप सचिव अधिकारी
झाहपुर, जिला-जयपुर (राज.)


राष्ट्रीय लोक अदालत